138

संख्या : 1102 / IV(2)-श0वि0–2015–06(ADB)11

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक : 02 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2015

विषयः उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेन्ट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (UUSDIP) के ट्रांच–2 (Loan No. 2797-IND) हेतु प्रतिपूर्ति दावे की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0आई0पी0 के पत्र संख्याः UUSDIP/ F&A/08/723, दिनांक 03.08.2015 एवं पत्र संख्याः UUSDIP/ F&A/08/794, दिनांक 13.08.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–53(1) PFI/2015–589, दिनांक 20.07.2015 एवं पत्रांक–53(1) PFI/2015–607, दिनांक 28.07.2015 द्वारा "उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम" हेतु Rembursement Claim के अन्तर्गत प्रथम चरण की परियोजना (ट्रांच–1) हेतु निम्नानुसार अवमुक्त धनराशि ₹ 751.92 लाख की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया हैः–

ACA No.	Date	App. No.	Amount (₹ in Lacs)
1	2	3	4
2015001268	10-07-15	RP-26	76.68
2015001304	22-07-15	RP-27	338.11
2015001305	22-07-15	RP-28	337.13
		Total	**751.92**

2. अतः उपरोक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से प्राप्त कुल **₹ 751.92** लाख **(₹ सात करोड़ इक्यावन लाख बयानवे हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त **₹ 751.92** लाख की धनराशि आपके द्वारा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आहरित कर कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाएगा, जो ऋण अनुबन्ध/परियोजना अनुबन्ध के क्रम में विषयान्तर्गत वर्णित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत है तथा जिनके सम्बन्ध में नियमानुसार अधिप्राप्ति कार्यवाही की गयी है।

(iii) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवल, अधिप्राप्ति नियमावली तथा मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, अन्य तद्विषयक नियमों एवं समय–समय पर निर्गत तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(iv) उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा।

क्रमशः/2

(v) अप्रयुक्त धनराशि का बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) यू0यू0एस0डी0आई0पी0 द्वारा निर्माण कार्य, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट/ऋण अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख

(vii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी और उसके अभियन्ता पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे तथा प्रोजेक्ट एग्रीमेंट का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जानी वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(ix) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219/2006, दि0– 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(x) निर्माण एजेन्सी के चयन में शासनादेश संख्या–452/XXVII(1)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(xi) जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा निर्माण ईकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।

(xii) प्रत्येक माह आवंटित धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 पर उपलब्ध करायी जाय तथा दिनांक 31–03–2016 तक मदवार व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xiii) अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव करते समय कार्यवार L-1 दर लागत पर कार्य की अनुमोदित लागत, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति एवं पूर्व अवमुक्त समस्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

(xiv) इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(xv) वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015, दि0–01.04.2015 में दिए गए दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के **अनुदान संख्या 13** के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण– 24–वृहत् निर्माण कार्य" की मद के नामे **₹ 616.57 लाख, अनुदान संख्या–30** के लेखाशीर्षक "4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–191– स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–97–वाह्य सहायतित परियोजनाएं–01–नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण– 24–वृहत् निर्माण कार्य" की मद के नामे **₹ 135.35 लाख** डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–अलॉटमेंट आई0डी0सं0– 1. S1509130023
2. S1509300024

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या : 1102/IV(2)–श0वि0–2015–06(ADB)2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
7– कार्यक्रम निदेशक, उत्तराखण्ड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट इन्वेस्मेंट प्रोग्राम, देहरादून।
8– निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11– निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड ।
12– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे सम्मिलित करने का कष्ट करें।
14– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।